पड़ोसी देशों को विद्युत की आपूर्ति

[स्रोत : बिज़नेस स्टैण्डर्ड](#)

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिये दिशा-निर्देश, 2018 में संशोधन किया है।

- यह पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात करने वाले विद्युत संयंत्रों को अपना उत्पादन **भारत में वापस बेचने की अनुमति देता है।**
- यह पड़ोसी देशों से भुगतान में देरी होने पर **स्थानीय ग्रिड को विद्युत बेचने** की भी अनुमति देता है।
    - **बांग्लादेश में चल रही अशांति** के मद्देनज़र नियमों में संशोधन किया गया।
- **बांग्लादेश को भारतीय विद्युत आपूर्तिकर्ता:**
    - झारखंड में **अडानी पावर का 1600 मेगावाट का** गोड्डा विद्युत संयंत्र **वर्ष 2023** से विशेष रूप से बांग्लादेश को विद्युत बेचता है।
        - अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच वर्ष 2017 में एक विशेष **विद्युत खरीद समझौते** पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) ने बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है।
    - **दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC)** ने वर्ष 2018 में बांग्लादेश को 300 मेगावाट विद्युत बेचने का अनुबंध किया था।

और पढ़ें: भारत-बांग्लादेश संबंध

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/electricity-supply-to-neighboring-countries